PAGE 1 OF 5	अभियोजन साक्षी संख्याः 14

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 2373/2023		
राज्य	**बनाम**	सूरज शुक्ला आदि

नाम साक्षीः रमन त्रिपाठी पुत्र इन्द्र कुमार त्रिपाठी	अपराध संख्या-90/2023
उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः छात्र	धारा- 302, 201, 120B भादवि
पता साक्षीः ग्राम थनवापुर, थाना-बरौर, जनपद-कानपुर देहात	थाना-सिकन्दरा, कानपुर देहात।

दिनांकः-17.04.2026 से प्रतिपरीक्षा

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री प्रेमचन्द्र त्रिपाठी (एड०) वास्ते अभियुक्त अनुज यादव व प्रदीप यादव

दिनांकः-04.05.2026

मैं **साक्षीः रमन त्रिपाठी पुत्र इन्द्र कुमार त्रिपाठी, उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः छात्र, पता साक्षीः ग्राम थनवापुर, थाना-बरौर, जनपद-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

11. मृतक नितेश त्रिपाठी का मैं सगा छोटा भाई हूँ और मैं थनवापुर में रहता हूँ। नितेश त्रिपाठी की मृत्यु के समय मैं थनवापुर में ही रह रहा था। नितेश त्रिपाठी की मृत्यु की सूचना मिलते ही मैं, मेरी माता जी, पिता जी, मेरा बड़ा भाई हरिओम त्रिपाठी व अन्य परिवारीजन व गाँव के लोग खोजाफूल प्रीतमपुर के पास कैनाल रोड़ पहुँचे थे जहाँ पर मृतक नितेश का शव पड़ा था। मैं अंदाज से भी नहीं बता सकता कि कैनाल रोड़ से कितनी दूरी पर नितेश का शव पड़ा था। कैनाल रोड़ से लगभग पचास मीटर की दूरी पर नितेश का शव पड़ा था। यह कहना सही है कि नितेश का शव हाइवे रोड़ के बिल्कुल किनारे कच्ची रोड़ पर पड़ा था। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है लेकिन नितेश के पैर उस दिशा में थे जिस तरफ से गाड़ियाँ जा रही थीं। नितेश के पैर हाइवे की तरफ थे। शव सील होने के समय भी मैं उपस्थित था। यह कहना गलत है कि मैं उस स्थान पर नहीं गया था जहाँ पर नितेश का शव पड़ा था और वहाँ पर मैंने नितेश को मृत अवस्था में न देखा हो।

HANS PRAKASH DIXIT

12. विवेचक से दो-तीन दिन बाद मैं मिला था। विवेचक से मेरी मुलाकात थाने पर हुई थी। मैंने उसी दिन विवेचक को अपना बयान दिया था। यह विवेचक ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने मेरा बयान 49 दिन बाद क्यों लिखा।

13. मैंने विवेचक को यह बयान दिया था कि "दिनांक 11.06.2023 की सायं पाँच बजे घर से मम्मी से यह कहकर निकला था कि मैं अनुज यादव के काम से अनुज यादव के साथ इटावा जा रहा हूँ।" उस दिन अनुज यादव से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जिस समय नितेश उक्त बात माता जी से कह रहा था उस समय मैं मौके पर उपस्थित था। यह बात आप पहली बार पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। यह बात मुख्य परीक्षा में नहीं बताई है।

14. मैंने विवेचक को यह बयान दिया था कि "मैं भी कुछ काम से रात करीब नौ बजे के बाद घर से अकबरपुर गया था तो सेंगुर नदी के पुल पर एक काले रंग की XUV300 जिसका नम्बर UP77AJ1526 था, खड़ी थी।" लेकिन उक्त बयान में मैंने विवेचक को समय साढ़े नौ बजे के बाद घर से निकलने वाली बात बताई थी। अगर विवेचक ने मेरे बयान में रात करीब नौ बजे के बाद घर से अकबरपुर जाने वाली बात लिखी है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ।

15. मैंने विवेचक को यह बयान दिया था कि "मुझे कुछ शक हुआ कि यह गाड़ी रात्रि के समय यहाँ क्यों खड़ी है लेकिन मुझे जल्दी थी, मैं निकल गया।" मैंने विवेचक को यह भी बात बताई थी कि गाड़ी के अंदर सूरज शुक्ला व अनुज यादव बैठे थे। अगर विवेचक ने यह बात मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि जहाँ मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा मिला था वहाँ पर उक्त नम्बर की गाड़ी नहीं मिली थी। यह कहना सही है कि मुझे ऐसा बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि सेंगुर नदी पर जो उपरोक्त गाड़ी खड़ी थी वह गाड़ी कब और कहाँ चली गई।

16. प्रश्नः क्या आपको ऐसा बताने वाला कोई व्यक्ति मिला या नहीं कि सेंगुर नदी पर खड़ी उक्त गाड़ी अकबरपुर या उसके आगे गई या वापस रनियाँ कानपुर देहात चली गई ?

उत्तरः मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले थे जिनका नाम गोविन्द अवस्थी था। उन्होंने शाम पाँच-छह बजे के लगभग उक्त गाड़ी को खड़ा देखा था।

17. गोविन्द अवस्थी मेरे नाना नहीं हैं लेकिन अगर मेरे रिश्तेदार हों तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह पिता जी बेहतर बता सकते हैं। दिनांक 11.06.2023 को समय छह-सात बजे गोविन्द अवस्थी ने उक्त गाड़ी देखी थी। घटना के तीन साल हो गए हैं इसलिए मुझे यह सही से याद नहीं है कि गोविन्द अवस्थी ने गाड़ी पाँच-छह बजे देखी थी या छह-सात बजे। मेरे बाद रात में गाड़ी देखने वाले व्यक्ति अश्वनी पांडेय थे। एक लोग और थे

जिनका नाम मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि मैंने मुख्य परीक्षा में गोविन्द अवस्थी, अश्वनी पांडेय व एक अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं बताया है।
18. मेरी एजुकेशन बी०एस०सी० है। नितेश की चोटों के आधार पर मेरे द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि मेरे भाई नितेश की हत्या की गई है।

19. प्रश्नः क्या आप बता सकते हैं कि दुर्घटना होने पर किसी व्यक्ति को चोटें आ सकती हैं या नहीं ?
उत्तरः मैं इस बारे में नहीं बता सकता।

20. मुझे विवेचना के दौरान यह पता चला था कि गाड़ी संख्या UP77AJ1526 किसी ओमनारायण कुशवाहा के नाम थी। मुझे इस बात की जानकारी है कि सूरज शुक्ला का निवास व ओमनारायण कुशवाहा का निवास रनियाँ में ही है। मैंने मुख्य परीक्षा में यह बात नहीं बताई है। आपके पूछने पर मैं यह बात बता रहा हूँ।

21. मैंने विवेचक को यह बात बताई थी कि "मैंने गाड़ी में सूरज शुक्ला व अनुज यादव को बैठे हुए देखा था।" अगर विवेचक ने यह बात न लिखी हो तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। मैंने विवेचक को यह बात बताई थी कि "रात साढ़े नौ बजे के बाद मैं जब घर से निकला था उस समय सेंगुर नदी के पास एक काले रंग की गाड़ी जिसका नम्बर XUV300 UP77AJ1526 था, साइड पर खड़ी थी। गाड़ी के अंदर अनुज यादव व सूरज शुक्ला बैठे हुए थे।" अगर विवेचक ने यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि उस गाड़ी पर उस समय मेरा भाई नितेश त्रिपाठी नहीं बैठा था।

22. मैं उस समय जल्दी में था क्योंकि मेरे घर में शादी थी इसलिए मैंने अनुज यादव से यह बात पूछने की आवश्यकता नहीं समझी कि नितेश कहाँ है।

23. भाई नितेश की नौकरी वर्ष 2016-17 में सेना में लगी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि भाई नितेश को कितना वेतन मिलता था। नितेश के पास सेना की नौकरी के अलावा और कोई व्यक्तिगत कमाई नहीं थी। यह बात सही है कि प्रदीप यादव व मेरे भाई नितेश द्वारा संयुक्त रुप से डंफर खरीदने का साक्ष्य नहीं है लेकिन जब मेरा मकान बन रहा था तो उस समय प्रदीप यादव उसी डंफर से मौरंग लेकर आए थे। मैंने प्रदीप यादव व मेरे भाई के बीच पैसे को लेकर लिखापढी हुई थी जिसके संबंध में प्रपत्र पत्रावली में दाखिल किए हैं। लेनदेन का मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे डंफर का नम्बर याद नहीं है। मेरे भाई नितेश ने मुझे यह बात बताया करते थे कि प्रदीप यादव ने मेरे भाई के साथ जो डंफर खरीदा था वह डंफर प्रदीप यादव के नाम नितेश ने करवाया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्रदीप यादव के नाम से कोई डंफर पूरे भारत में किसी भी सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत/नामित है या नहीं।

---

24. डंफर खरीदने में मेरे भाई नितेश का लगभग चार-पाँच लाख रुपया लगा था। चार-पाँच लाख रुपया डंफर खरीदने में लगे होने की बात मैंने मुख्य परीक्षा में नहीं बताई है। प्रदीप यादव ने लगभग दो-ढ़ाई साल बाद डंफर बेच दिया था यह बात मुझे नहीं मालूम है बल्कि मेरे भाई नितेश त्रिपाठी को मालूम थी। डंफर कितने रुपयों में व किसे बेचा गया मुझे जानकारी नहीं है बल्कि यह जानकारी मेरे भाई नितेश को थी। विवेचना के दौरान मैंने यह बात दरोगा जी को बताई थी। विवेचक को मैंने वो कागज (पैसे की लिखापढी से संबंधित) भी दिखाया था जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे जानकारी नहीं है कि अनुज यादव व प्रदीप यादव से नितेश को कितना रुपया लेना था बल्कि यह जानकारी भाई नितेश को थी लेकिन अस खुद कहा कि लगभग एक लाख बाईस हजार रुपये प्रदीप यादव से भाई नितेश को लेना था। मैंने रुपयों का लेनदेन भाई नितेश व प्रदीप के बीच होते हुए देखा था। यह बात सही है कि यह बात मैं आज पूछे जाने पर पहली बार बता रहा हूँ। मैंने यह बात मुख्य परीक्षा में नहीं बताई थी।

25. मुझे इस संबंध में यह जानकारी नहीं है कि घटना के पूर्व दिवस से लेकर नितेश त्रिपाठी की लाश देखे जाने के बीच कानपुर देहात के किसी गाँव, कस्बे व कहीं भी स्थान पर प्रदीप यादव के देखे जाने की साक्ष्य मेरे पास है या नहीं।

26. यह कहना गलत है कि मेरे भाई नितेश की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई हो और शक के आधार पर मेरे घरवालों ने अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया हो।

27. यह कहना गलत है कि भाई नितेश की मृत्यु से आहत होकर व उसका भाई होने के नाते मैं आज सिर्फ शक के आधार पर व बिना किसी ठोस साक्ष्य के गवाही दे रहा हूँ।

28. यह कहना गलत है कि मुझे नितेश त्रिपाठी की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी न हो।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री विश्वनाथ कटियार (एड०) वास्ते अभियुक्त सूरज शुक्ला

29. मैंने अपने भाई नितेश की हत्या होते हुए नहीं देखा था। मेरे भाई नितेश ने मेरी माता जी से कहा था कि मैं इटावा जा रहा हूँ। यह बात मैंने सुनी थी। मैंने इस बात का पता नहीं लगाया था कि मेरा भाई नितेश इटावा गया था या नहीं।

30. सूरज शुक्ला मेरे गाँव का रहने वाला है। मैं सूरज को अच्छी तरह जानता-पहचानता हूँ।

31. मैं कभी भी अर्चना अवस्थी से नहीं मिला। मैं अर्चना अवस्थी का नाम सुनता रहता था। मेरा भाई एयरफोर्स में लाजिस्टिक विभाग में था, उसी लाजिस्टिक विभाग में लड़कियाँ भी काम करती थीं उनसे मेरे भाई नितेश की मित्रता थी। मेरे पास ऐसा कोई

जानकारी व साक्ष्य नहीं है कि सूरज शुक्ला, अर्चना अवस्थी से शादी करना चाहता था। मैं अपने भाई नितेश के साथ कभी भी अर्चना अवस्थी से मिलने भी नहीं गया।

32. यह कहना गलत है कि मेरे भाई नितेश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो और गाँव की रंजिश के कारण मैंने सूरज शुक्ला को झूठा फंसाया हो।

33. गवाह को धारा-161 द०प्र०सं का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह बयान तो मैंने दिया ही था इसके अलावा और भी बयान मैंने दिया था जिसे दरोगा जी ने नहीं लिखा है।

34. यह कहना गलत है कि मैंने न्यायालय में जो मुख्य परीक्षा में बयान दिया है वह झूठा बयान दिया है।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।